

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

बजरंगी कुमार सिंह

बनाम

शिव लाल साव और अन्य

2022 का प्रथम अपील संख्या 80

03 दिसम्बर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत दायर प्रथम अपील की सीमितता अवधि की गणना डिक्री की तारीख से की जानी चाहिए या निर्णय की तारीख से, जब कि दोनों को चुनौती दी गई हो?

हेडनोट्स

- केवल डिक्री के विरुद्ध ही अपील की जा सकती है, न कि निर्णय (जजमेंट) के विरुद्ध, यद्यपि अपील ज्ञापन के साथ निर्णय की प्रति संलग्न करना आवश्यक होता है। (पैरा 2)
- वर्तमान मामले में, डिक्री 19.07.2022 को तैयार की गई थी और यह अपील 08.09.2022 को दायर की गई, अतः यह 90 दिनों की निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर की गई है, इस प्रकार यह अपील समय के भीतर है। (पैरा 2)

न्याय दृष्टान्त

पीरप्पा बनाम बसम्मा एवं अन्य, एआईआर 1981 कर्नाटका 163

अधिनियमों की सूची

सीमितता अधिनियम, 1963; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (धारा 96, आदेश XLI नियम 1)

मुख्य शब्दों की सूची

सीमितता अवधि; प्रथम अपील; डिक्री बनाम निर्णय; अनुच्छेद 116; धारा 96; सिविल प्रक्रिया संहिता; आदेश XLI सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रकरण से उत्पन्न

मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री गौरव गोविंद, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरदाता की ओर से: श्री

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 का प्रथम अपील संख्या 80

=====

बजरंगी कुमार सिंह

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

शिओ लाल साव एवं अन्य

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री गौरव गोविंद, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

10 03-12-2024

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री

गौरव गोविंद प्रस्तुत करते हैं कि कार्यालय द्वारा इंगित सीमा अवधि के संबंध में दोष पूरी तरह से गलत है क्योंकि इस अपील में, अपीलार्थी ने निर्णय और डिक्री दोनों को चुनौती दी है और सीमा अधिनियम में, अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अदालत द्वारा पारित फैसले के खिलाफ अपील के संबंध में सीमा अवधि का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, हालांकि, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील के संबंध में विशिष्ट प्रावधान है और सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 के अनुसार, डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा अवधि नब्बे दिन है। और वही डिक्री की तारीख से शुरू होता है और अपीलार्थी ने डिक्री की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर यह अपील दायर की है जिसे चुनौती दी गई है। उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पीरप्पा बनाम बसम्मा एवं अन्य** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसे **एआईआर 1981 कर्नाटक 163** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें यह निर्णय दिया कि अपील दायर करने के लिए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 116 के तहत सीमा अवधि की गणना डिक्री की प्रमाणित प्रति की तारीख से की जानी चाहिए न कि निर्णय की तिथि से और प्रासंगिक पैराग्राफ जिन पर भरोसा किया गया है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"16. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यद्यपि विद्वान मुंसिफ ने अपना निर्णय 21-4-1973 को सुनाया था, उस निर्णय के अनुरूप एक डिक्री वास्तव में कार्यालय द्वारा तैयार की गई थी और उस पर उनके द्वारा 29-5-1973 को ही हस्ताक्षर किए गए थे।

17. 23-4-1973 को वादी द्वारा निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया था। उस आवेदन पर, कार्यालय ने उसी दिन अतिरिक्त फोलियो मंगवाए और 14-5-1973 को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदान की। लेकिन, डिक्री की प्रमाणित प्रति तैयार की गई और वादी को उसी दिन 29-5-1973 को प्रदान की गई जिस दिन डिक्री तैयार की गई थी।

18. अपील डिक्री के विरुद्ध दायर की जानी चाहिए, निर्णय के विरुद्ध नहीं, इसलिए वादीगण ने 31-5-1973 को सिविल जज के समक्ष अपनी अपील दायर की, जिसमें उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा 29-5-1973 को प्राप्त डिक्री की प्रति संलग्न की गई।

19. दुर्भाग्य से कार्यालय ने अपील के लिए सीमा अवधि की गणना निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर की है, न कि वादी द्वारा प्रस्तुत डिक्री की प्रमाणित प्रति के संदर्भ में। यदि अपील के लिए सीमा अवधि की गणना अपील ज्ञापन के साथ प्रस्तुत डिक्री की प्रमाणित प्रति के संदर्भ में की जाती है, जैसा कि कानून में होना चाहिए, तो वादी द्वारा 31-5-1973 को दायर की गई अपील समय से पहले की गई थी और कार्यालय द्वारा इसके विपरीत की गई टिप्पणी स्पष्ट रूप से गलत है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि विद्वान सिविल जज को इस पहलू की जांच नहीं करनी चाहिए थी और उसी पर विचार नहीं करना चाहिए था, जिससे इस न्यायालय के समक्ष

प्रतिवादी द्वारा किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकता था। इस दृष्टिकोण से, वादी द्वारा 31-5-1973 को दायर की गई अपील समय से पहले की गई थी और श्री गुंजाल के तर्क में कोई दम नहीं है और मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।”

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना और स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग की रिपोर्ट का अध्ययन किया। स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग द्वारा सीमा अवधि के संबंध में एक दोष इंगित किया गया है और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि तत्काल मामले में सीमा की गणना विवादित निर्णय की तारीख से की जानी चाहिए न कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 1 (संक्षेप में 'सी. पी. सी.') में दिए गए अधिदेश को देखते हुए डिक्री पर हस्ताक्षर करने की तारीख से और विवादित निर्णय से उत्पन्न होने वाली नियमित सिविल अपील के संबंध में, सीमा अवधि विवादित निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावी होगी।

स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट के मद्देनजर, यह न्यायालय सी.पी.सी. की धारा 96 और आदेश XLI का अवलोकन करता है, जो मूल डिक्री से प्रथम अपील से संबंधित है, यदि हम उन्हें संयुक्त रूप से पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अपील केवल डिक्री के संबंध में होती है, निर्णय के संबंध में नहीं, हालांकि निर्णय की प्रति अपील के ज्ञापन के साथ दायर की जानी आवश्यक है। सी.पी.सी. के अनुसार, डिक्री का अर्थ है एक न्यायनिर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति जो मुकदमे में विवाद के मामले के संबंध में पक्ष के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है और निर्णय का अर्थ है डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया बयान, इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि सिविल अपील के माध्यम से डिक्री को चुनौती देने में

निहित रूप से ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय भी शामिल है और इस कारण से, केवल डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जिसे सीमा अधिनियम के प्रावधानों से भी समर्थन मिलता है क्योंकि सीमा अधिनियम में, केवल सी.पी.सी. के तहत पारित डिक्री ही होती है। या आदेश जो सी.पी.सी. के आदेश XLIII के प्रावधानों के तहत अपील योग्य हैं, उन्हें अपील योग्य बनाया गया है। हालांकि, निर्णय और डिक्री दोनों को चुनौती देने की प्रथा बन गई है, लेकिन अपील के संबंध में सीमा अवधि की गणना करते समय केवल डिक्री को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए और अनुच्छेद 116 में उल्लिखित सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मूल अधिकार क्षेत्र वाले सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ अपील के लिए सीमा अवधि उच्च न्यायालय में इसे दायर करने के लिए नब्बे दिन है और सीमा अवधि डिक्री की तारीख से शुरू होगी। वर्तमान मामले में, डिक्री 19.07.2022 को तैयार की गई थी और तत्काल अपील 08.09.2022 को दायर की गई थी, इसलिए, यह नब्बे दिनों की निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर की गई थी, इस प्रकार, यह अपील समय के भीतर है और अन्य दोष पहले ही दूर हो चुके हैं, इसलिए, इस अपील को अपनी बारी पर स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करें।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।